

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- बरदहअवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार, नगदी भी बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा नकली, अवैध तथा मिश्रित शराब बरामदगी व गिफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.06.21 को उप निरी० शमशाद अली मय हमराह द्वारा जिवली तिराहा पहुंचे जहाँ आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही धीरज कुमार सिंह व सिपाही अखिलेश कुमार मिले जिन्हे लेकर जिवली तिराहे पर बातचीत हो रही थी की मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि गोडहरा मोड जिवली के वंशराज सोनकर व उसकी पत्नी मीरा देवी व भाई सभाजीत सोनकर अपने घर में रखकर कच्ची व देशी पौवा की शराब बेचने का काम कर रहे हैं सूचना पर विश्वास करके आबकारी सिपाहियों को भी साथ लेकर उप नि० मय फोर्स मय मुखबिर बताये स्थान की तरफ रास्ते से कुछ दूर चलने के बाद जिवली- देवगाँव रोड पर मुखबिर ने एक मकान की तरफ इशारा करके बताया कि इसी मकान में शराब बेची जा रही है। मुखबिर चला गया। तब उसी मकान के सामने सरकारी गाड़ी खड़ी करके दबिश दी गई तो एक आदमी निकलकर पीछे की तरफ से भागने में सफल रहा तथा कमरे के अन्दर एक महिला तथा दूसरे कमरे के अन्दर एक व्यक्ति मिले। महिला के पास से 22 पौवा देशी शराब प्रत्येक पर बुलेट नं०-1 लिखा है मिले। महिला का नाम पता पूँछा तो अपना नाम मीरा देवी w/o बंश राज सोनकर निवासी जिवली (गोडहरा रोड) थाना बरदह आजमगढ़ बताया गया व्यक्ति के पास से एक जरीकेन सफेद में करीब 09 लीटर द्रव्य पाया गया, जरीकेन का ढक्कन खोलकर स्वयं सूँघा तथा हमराह कर्म०गण के सुँघाया तो कच्ची शराब की गन्ध आ रही है। इसी व्यक्ति से नाम पता पूँछा तो अपना नाम सभाजीत सोनकर पुत्र राम चरित्र सोनकर नि० जिवली(गोडहरा रोड) थाना बरदह आजमगढ़ बताया। महि० आरक्षी मीना द्विवेदी द्वारा पकड़ी महिला की तलाशी लिवाई गयी तो इसके पास से 500-500 के 12 नोट दो-दो सौ के 02 नोट, सौ-सौ के 09 नोट, पचास-पचास के 08 नोट बरामद हुए तथा पकड़े व्यक्ति की जामा तलाशी से शर्ट की जेब से पचास- पचास के 08 नोट बरामद हुए। शराब रखने का लाईसेन्स तलब किया तो दोनो मफी मांगने लगे। भागे व्यक्ति का नाम पूँछा तो इन्होंने भागे व्यक्ति का नाम वंश राज सोनकर पुत्र राम चरित्र सोनकर नि० जिवली(गोडहरा रोड) थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बताया। उपरोक्त तीनों का जुर्म, धारा -60 आबकारी अधि० के अन्तर्गत आता है। अतः कारण जुर्म धारा 60 आबकारी अधि० बताकर गिरफ्तार शुदा महिला तथा पुरुष, दोनो के समय करीब 07.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०स० 130/21 धारा 60 आबकारी अधि० थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

- 1- सभाजीत सोनकर पुत्र राम चरित्र सोनकर नि० जिवली(गोडहरा रोड) थाना बरदह आजमगढ़
- 2- मीरा देवी w/o बंश राज सोनकर निवासी जिवली (गोडहरा रोड) थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी-

- 1- 22 पौवा देशी शराब प्रत्येक पर बुलेट नं०-1 लिखा है
- 2- एक जरीकेन सफेद में करीब 09 लीटरकच्ची शराब व जामा तलाशी के कुल 8100 रुपया बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी थाना उप निरी० शमशाद अली, कानि० ऐनुद्दीन फारुकी, का अमर नाथ शर्मा, थाना बरदह आजमगढ़
- 2- महि० आरक्षी मीना द्विवेदी, आबकारी सिपाही धीरज कुमार सिंह व सिपाही अखिलेश कुमार थाना बरदह आजमगढ़

थाना-निजामाबादगौवंशी पशुओं का वध करके मांस बेचने वाला फरार चल रहा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गोमांश की तस्करी करने वालों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ०नि० मोतीलाल पटेल, का० चन्दन कुमार, रि०का० रजत त्रिपाठी मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु० 0अ०सं०- 132/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना निजामाबाद आजमगढ़ से संबंधित अभियुक्त फरिहा चौक से कही जाने के फिराक में है। मुखबिर की इस सूचना पर बिश्वास करके तत्काल फरिहां चौक पहुंच कर मुकदमा से संबंधित अभियुक्त मुन्ना पुत्र मजनु उर्फ मलिया निवासी अढ़नपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर को पकड़ लिया गया। पकड़े व्यक्ति को समय करीब 19.30 बजे अपराध का बोध कराकर हिरासत पुलिस में लेकर न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग -

- 1- मु०अ०सं०- 132/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुन्ना पुत्र मजनु उर्फ मलिया निवासी अढ़नपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर

## गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० मोतीलाल पटेल, थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. का० चन्दन कुमार, थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. रि०का० रजत त्रिपाठी, थाना निजामाबाद, आजमगढ़

## थाना सरायमीर

### एक अदद तमंचा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 303 बोर के साथ 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोर, लुटेरो व वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे मु०अ०सं० 144/19 धारा 457/380/411 भादवि व मु०अ०सं० 45/20 धारा 457/380/411 भादवि व मु०अ०सं० 86/20 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजीम उर्फ खरहा पुत्र अलीम उर्फ हलीम निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा 303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस 303 बोर के साथ दिनांक 11.06.2021 को समय करीब 17.30 बजे खरेवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 82/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- अजीम उर्फ खरहा पुत्र अलीम उर्फ हलीम निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

### पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु०अ०सं० 82/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

### आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 144/19 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 45/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 86/20 धारा 307 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 82/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री रामकृष्ण सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० ओमप्रकाश सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का० शैलेश सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 24 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।